

दिनांक 20.08.2015 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— द्वितीय वृत्त, मेरठ / मेरठ जोन, मेरठ

दिनांक—01-10-2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	श्री करन सिंह पुत्र श्री राम चरण, ग्राम सरायकाजी, थाना व डाकखाना मैडिकल कालेज, गढ़ रोड मेरठ, मो० नं०—9917148286	दुकान के पंजीकरण के विरुद्ध जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट की धनराशि वापिस करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1956/ जी-19/ 58 दिनांक 03.9.15 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत ड्राफ्ट आपके द्वारा दिनांक 13.12.10 को इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया था परन्तु उक्त ड्राफ्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा न ही इसे इस खण्ड कार्यालय द्वारा कैश कराया गया है। आपके द्वारा उक्त ड्राफ्ट वापिस की मांग पर खण्ड कार्यालय के पत्रांक 572/ वाई-17/ 57 दिनांक 13.3.15 द्वारा उक्त ड्राफ्ट निरस्त कर सम्बन्धित को भुगतान करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक, शाखा-शास्त्रीनगर, मेरठ को लिखा गया था, परन्तु उक्त ड्राफ्ट किसी अन्य व्यक्ति के खाते से बना होने के कारण इसका भुगतान आपको किये जाने में बैंक द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है। उक्त ड्राफ्ट का डुप्लिकेट बैंक ड्राफ्ट तैयार कर खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित बैंक से पुनः अनुरोध किया गया है। यदि सम्बन्धित बैंक द्वारा डुप्लिकेट ड्राफ्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। आपके द्वारा परिषद दिवस में दिया गया उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
2	श्री श्रीपाल सिंह, 331/1 सरायकाजी मेरठ, मो० नं०—9359065992	निष्प्रयोज्य भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1988/ जी-19/ 61 दिनांक 09.9.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि परिषद द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्जित की गयी है, जिसके प्रतिकर का भुगतान राजस्व अभिलेखों में अंकित भू-स्वामी द्वारा प्राप्त किया गया है तथा इसका एवार्ड घोषित होकर	निस्तारित

					कब्जा भी परिषद को प्राप्त हो चुका है। जिसके नियोजन/ निस्तारण की कार्यवाही परिषद नियमानुसार प्रस्तावित है। अतः आपके द्वारा दिया गया प्रत्यावेदन तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	
3	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीदत्त, ए-173 ए, डिफैन्स कालोनी मेरठ, मो0 नं0-8979060474, 0121-2621252	खसरा संख्या-442 खाता संख्या-59 क्षेत्रफल 600 वर्ग गज स्थित ग्राम औरंगशाहपुर डिग्गी परगना जिला व तहसील मेरठ के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकांसी अभियन्ता निर्माण खण्ड-5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ के पत्रांक 1112/ जी-15/ 115 दिनांक 24.8.15 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि नियमानुसार योजना के अधिग्रहण के समय पूर्ण खसरो का प्रतिकर एक मुश्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जनपद मेरठ को कर दिया जाता है तदानुसार ही किसानों को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा समय-2 पर प्रतिकर भुगतान करने की प्रक्रिया है। आवेदक नियमानुसार भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जनपद मेरठ से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं तथा नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 उक्त पर लागू नहीं है।	निस्तारित
4	श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव पत्नी श्री जगमोहन पाल, 169/4/4, जागृति विहार, मो0 नं0-9911297397	भवन संख्या-169/4/4 जागृति विहार योजना संख्या-6 के मानचित्र के सम्बन्ध में।		तत्काल	आवेदक को मानचित्र सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड-5 मेरठ द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।	निस्तारित
5	डा0 शिशिर चन्द गुप्ता व श्री नवीन गुप्ता, मोहनपुरी निकट चिकारा काम्पलैक्स, मो0 नं0-9412629406	प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकांसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1954/ जी-19/ 57 दिनांक 03.9.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि परिषद द्वारा ग्राम कमालपुर के खसरा सं0-48 में 2519.00 वर्ग मी0 भूमि का करार राजस्व अभिलेखों में अंकित भू-स्वामी से किया गया था जिसका अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति मेरठ द्वारा एवार्ड घोषित कर कब्जा परिषद को हस्तान्तरित किया गया है, जिसके प्रतिकर का भुगतान अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, मेरठ द्वारा किया जाना है। आपके द्वारा प्रश्नगत खसरे की भूमि में 330.00 वर्ग गज भूमि किस स्थान पर क्रय की गयी थी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः आप कथित क्रय की गयी 330.00 वर्ग गज भूमि का चिन्हांकन राजस्व विभाग से कराते हुए नजरी नक्शा के साथ प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही करायी जा सके।	निस्तारित